न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 58 / 2025	2025 / 236	28.04.2025	04.06.2025

1– काबुलसिंह पुत्र रामोतार जाति अहीर निवासी अहीर वाटी हाल मोदी नगर तिजारा रोड किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 21.03.2025 नामान्तकरण संख्या 556 वाके ग्राम लालपरी तहसील किशनगढबास जिला जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सुरजभान भडाणा

–वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 556 निर्णय 21.03.2025 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी हाल खसरा न0 309 / 2 रकबा 1.2600 है0 सालिम, 303 / 0.4700 है0, 304 / 0.6300 है0 किता 2 रकबा 1.10 है0 का 1 / 3 भाग वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास गुलशेर पुत्र उमर खान जाति मेंव निवासी रायबका तहसील अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस आराजी का बेचान गुलशेर द्वारा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर मिन अपीलान्ट को कर दिया तथा गुलशेर द्वारा दिनाक 13.01.2025 को बयनामा तहरीर व तकमील कराया जो बयनामा दिनाक 13.01.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 618 में पृष्ठ संख्या 79 क्रंम संख्या 202503359100104 पर पंजिबद्व किया गया। बाद पंजियन मिन अपीलान्ट द्वारा असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 556 दिनाक 20.02.2025 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी तहसीलदार किशनगढबास को भेजा गया, जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया कि As The Submitted Documents Are Not Complete, No Option Is Available For Send For Rechecking. So Could Not Be Considered For Approval नामान्तकरण खारिज कर दिया। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश / निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई सूचना पटवारी हल्का व तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नही दी गयी की कौनसा दस्तावेज रह गया, ऐसी कोई लिखित में अथवा मौखिक सूचना उपलब्ध नही करायी। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे। तहत अदालत के समक्ष मिन अपीलान्ट द्वारा असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया तथा पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज की जॉच कर नामान्तकरण दर्ज किया गया था। लेकिन तहत अदालत द्वारा गलत रूप से अपनी मनमर्जी से यह लिखते हुऐ की As The Submitted Documents Are Not Complete, No Option Is Available For Send For Rechecking. So Could Not Be Considered For Approval नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। नामान्तकरण के लिए बयनामा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

एक मात्र दस्तावेज होता है, अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नही थी, लेकिन तहत अदालत द्वारा गलत रूप से नामान्तरण खारिज किया गया है, तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपना जाप्ता सही रूप काम में नही लिया गया है। अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी हाल खसरा न0 309/2 रकबा 1.2600 है0 सालिम, 303/0.4700 है0, 304/0.6300 है0 किता 2 रकबा 1.10 है0 का 1/3 भाग वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास गुलशेर पुत्र उमर खान जाति मेंव निवासी रायबका तहसील अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस आराजी का बेचान गुलशेर द्वारा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर मिन अपीलान्ट को कर दिया तथा गुलशेर द्वारा दिनाक 13.01.2025 को बयनामा तहरीर व तकमील कराया जो बयनामा दिनाक 13.01. 2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 618 में पृष्ठ संख्या 79 क्रंम संख्या 202503359100104 पर पंजिबद्व किया गया। बाद पंजियन मिन अपीलान्ट द्वारा असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 556 दिनाक 20.02.2025 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी तहसीलदार किशनगढबास को भेजा गया, जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण को दिनांक 21.03.2025 को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया कि As The Submitted Documents Are Not Complete, No Option Is Available For Send For Rechecking. So Could Not Be Considered For Approval जो न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय 21.03.2025 नामान्तकरण संख्या 556 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जांच की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एंव जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)